

भजनों से किया भगवान परशुरामजी का गुणगान



भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को विद्याधर नगर के परशुराम सर्किल पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। सजे-धजे हाथी, ऊंट, घोड़े, बैडवादन और लवाजमे के साथ भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा निकाली गई जिसमें लोगों ने जयकारों के साथ नाच-गाकर आनंद लिया।

भजनों से किया भगवान परशुरामजी का गुणगान विद्याधर नगर के परशुराम सर्किल पर हुए विभिन्न कार्यक्रम जयपुर। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को विद्याधर नगर के परशुराम सर्किल पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। सुबह वेद मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक कर फूलों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद सामूहिक रूप से सुंदरकांड के पाठ किए गए। पाठ के बाद भजनों से भगवान परशुरामजी का गुणगान किया गया। शाम को जयकारों के साथ संगीतमय महाआरती की गई।

कार्यक्रम से जुड़े विरेंद्र शर्मा और गोपाल शर्मा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी, सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाईंस विधायक गोपाल शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंददाचार्य सहित अनेक जन प्रतिनिधियों और अनेक गणमान्य लोगों ने सैंकड़ों दीपकों से भगवान परशुरामजी की महाआरती की। इसके बाद सजेधजे हाथी, ऊंट, घोड़े, बैडवादन और लवाजमे के साथ भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में 1100 से अधिक महिलाएं एक ही रंग की साड़ी पहनकर सिर पर कलश लेकर मंगल गीत गाती हुईं चल रही थीं। वहीं युवाओं की टोली वाहन रैली के रूप

में जयकारे लगाते हुए साथ चल रही थीं। शेष सभी लोग हाथों में भगवान परशुराम जी की भगवा पताका और विशाल ध्वज लहराते हुए और जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। फूलों से सजे रथ में विराजमान भगवान परशुरामजी की जगह-जगह आरती उतार कर स्वागत किया गया। ब्राह्मण समाज के वयोवृद्ध लोगबगिच्यों में सवार होकर शोभायात्रा को निहार रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया। अलका सिनेमा, सीकर रोड, मुरलीपुरा सर्किल, कैडिया पैलेस चौराहा होते हुए शोभायात्रा रामेश्वरधाम मुरलीपुरा स्थित श्री गौड़ विप्र समाज भवन पहुंची। यहां पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ शोभायात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद भोजन प्रसादी हुई।

बिड़ला सभागार में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 30 अप्रैल को विभिन्न ब्राह्मण संगठनों की ओर से अभिषेक-पूजन और महाआरती के आयोजन होंगे। विभिन्न ब्राह्मण संगठनों की ओर से सामूहिक रूप से दोपहर बारह बजे से स्ट्रेच्यु सर्किल स्थित बिड़ला सभागार में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय आयोजन के मुख्य अतिथि लोक सभा अध्यक्ष भीम बिरला, विशिष्ट अतिथि राज्य

सभा सदस्य धनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाईंस विधायक गोपाल शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंददाचार्य होंगे। पूजा-अर्चना के बाद सभी उपस्थित लोगों को देश से आतंक से उन्मूलन करने कासंकल्प कराया जाएगा। प्रारंभ में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेईया ने बताया कि समारोह में प्रदेश के करीब बीस संगठन एक साथ भगवान परशुराम का पूजन करेंगे।

राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से विद्याधर नगर सेक्टर चार स्थित भगवान परशुराम भवन में जन्मोत्सव पर पूजा-अर्चना की जाएगी। मुख्य अतिथि महासभा के अध्यक्ष केसरी भंवर लाल शर्मा होंगे। महासभा की सभी इकाइयों की ओर से उनाके कार्यालयों पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राजस्थान गौड़ महासभा की ओर से इसी परिसर स्थित कार्यालय में सादगी पूर्वक जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पहलगाम हमले के कारण महासभा ने जन्मोत्सव को धूमधाम से नहीं मनाने का निर्णय लिया था। सर्व ब्राह्मण महासभा ने रेलवे स्टेशनस्थित भगवान परशुराम सर्किल पर पूजा-अर्चना और महाआरती का आयोजन करेंगी। ब्राह्मण समाज राजस्थान की ओर से सीकर रोड ढहर



उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी सहित अनेक जन प्रतिनिधियों और अनेक लोगों ने सैंकड़ों दीपकों से भगवान परशुरामजी की महाआरती की।

के बालाजी कार्यालय पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, औदीच्य ब्राह्मण महासभा, गौड़ विप्र समाज सहित अनेक ब्राह्मण संगठनों की ओर से

भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। स्वेज फार्म स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में बुधवार को भगवान परशुराम की महाआरती होगी। स्वामी

अवधेशाचार्य महाराज के सान्निध्य में होने वाले कार्यक्रम में मालवीयनगर विधायक कालीचरण सराफ और सिविल लाईंस गोपाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।

तस्कर को बीस साल की सजा

जयपुर। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त नौशाद खान को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने अभियुक्त की पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पुलिस ने भट्ठा बस्ती थाने में 28 जुलाई, 2018 को एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें कहा गया कि मादक पदार्थ तस्करी करने करने वाला नौशाद भट्ठा बस्ती थाना क्षेत्र में 27 जुलाई, 2018 की रात गांजे की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 20 किलो गांजा उसकी पत्नी की कार से जब्त किया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद अभियुक्त और उसकी पत्नी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

पंजाब के विकलांगों के लिये जयपुर फुट की स्थापना



शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्री अमृतसर के अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह धामी ने जयपुर फुट के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर.मेहता, अध्यक्ष सतीश मेहता, गुरु संत रामदास विवि के कुलपति डॉ. मंजीत सिंह उप्पल और जयपुर फुट अमृतसर केंद्र के अध्यक्ष पूर्व राजदूत नवदीन सुरी की उपस्थिति में जयपुर फुट के केंद्र का उद्घाटन किया।

जयपुर। अमृतसर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट केंद्र की स्थापना हो गई। इस स्थापना से पंजाब के विकलांगों को अब कुत्रिम पैर सहजता से अमृतसर में ही लगाये जा सकेंगे और उन्हें जयपुर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह जयपुर फुट का देश का

36वां केंद्र है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्री अमृतसर के अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह धामी ने जयपुर फुट के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर.मेहता, अध्यक्ष सतीश मेहता, गुरु संत रामदास विवि के कुलपति डॉ. मंजीत सिंह उप्पल और जयपुर फुट अमृतसर केंद्र के अध्यक्ष पूर्व राजदूत नवदीन सुरी की उपस्थिति में केंद्र का उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन समारोह में धामी ने डी.आर.मेहता, सतीश मेहता और पूर्व राजदूत नवदीप सुरी के प्रयासों को सराहा। धामी ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से पंजाब के विकलांगों का बहुत राहत पहुंची है। डी.आर.मेहता ने अमृतसर जैसी धर्म नगर में जयपुर फुट केंद्र की स्थापना के लिये धन्यवाद दिया। विशेषकर डीन डॉ.ए.पी.सिंह के प्रयासों की प्रशंसा की।

भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री ने टिकैट के बयान को बताया निंदनीय

जयपुर। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से तथा कथित किसान नेता नरेश टिकैट के राष्ट्रवरोधी बयान पर मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता की गई। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री ओपी यादव ने बताया कि टिकैट का बयान देश के आतंकवादी रूपी घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। टिकैट ने आतंकी हमले में जान गवाने वाले निर्दोष लोगों का अपमान किया है। उनके बयान से पाकिस्तान प्रेम झलक रहा है।

यादव ने कहा कि भारत सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघा-अटारी बॉर्डर पर बॉटिंग रिट्रीट समारोह को रद्द कर दिया, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए और उन्हें भारत छोड़ने के लिए निर्देशित त्क कर दिया। इसके साथ ही भारत ने सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आतंकी हमले में पर्यटकों से धर्म पुछकर गोली मारने वालों का समर्थन करने वाले टिकैट के बयान की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। किसान मोर्चा देश के किसानों से मांग करता है कि ऐसे राष्ट्रवरोधी लोगों का बहिष्कार किया जाए। टिकैट को देश से माफी मांगनी चाहिए।

भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि किसान मोर्चा नरेश टिकैट से पुछना चाहता है कि जो देश हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या करवा रहा है।

अंबेडकर जिस वर्ग के उसे कांग्रेस ने दलित माना जबकि भाजपा ने ललित : राजे

जयपुर/इंदौर। पूर्व सीएम वसुन्धरा राजे ने कहा है कि अंबेडकर जिस वर्ग के हैं, उस वर्ग को कांग्रेस ने दलित माना, जबकि भाजपा ने ललित। ललित मतलब सुंदराउन्होंने कहा कि अंबेडकर कहते थे हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत भी छोटी लगने लगे।वे इंदौर के रविन्द्र नाट्यय गृह में आयोजित डॉ. भीम राव अंबेडकर सम्मान अधियान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी जिसमें एमपी के सीएम डॉ.मोहन यादव भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कांग्रेस ने बाबा साहेब का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया। उनके परिजनों को बाँधे में दाह संस्कार करना पड़ा। उनके सरकारी आवस को प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। यह मोदी ने किया।बाबा साहेब को भारतरत्न कांग्रेस ने नहीं,अटल के प्रयास से वीपी सिंह सरकार ने दिया। मोदी जी ने सुप्रीमकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित की।

पूरा बीमा क्लेम नहीं देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर 1.1 5 लाख का हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने बीमा क्लेम की राशि का पूरा भुगतान नहीं करने पर हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर 1.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही रोकी गई करीब 5.43 लाख रुपए की राशि भी एक माह में लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश इंदु तिवाड़ी की ओर से दायर परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी और उसके पति ने विपक्षी बीमा कंपनी से अपनी बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण कराया था। परिवादी के पति की 15 दिसंबर, 2021 को तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल में दिखाया गया। जहां पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। ऐसे में उनकी किडनी प्रत्यारोपण का निर्णय लिया गया। परिवाद में कहा गया कि 15 दिसंबर से लेकर 8 नवंबर, 2023 उनके पति अस्पताल में पतों रहे और आखिर

संपन्न परिवारों को छात्रवृत्ति देकर आमजन की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग कर रही सरकार : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 25 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के अध्येर्थी को ई3 वर्ग में दी जा रही छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने इस योजना के तहत अब तक लाभ लेने वाले अध्येर्थियों और उनके माता-पिता की संपूर्ण जानकारी पेश करने को कहा है।

अदालत ने कहा कि गत 17 अप्रैल को भी इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जानकारी पेश नहीं करना शर्ताता है कि सरकार उन परिवारों की पहचान छुपाना चाहती है। अदालत ने कहा कि योजना का लाभ अधिकांश ऐसे संपन्न अध्येर्थियों की ओर से लिया जा रहा है, जिनके परिवार की वार्षिक आय पर्याप्त है। ऐसे में लगता है कि यह योजना ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए ही तैयार की गई है, जिनकी सालाना आय 25 लाख

रुपए से अधिक है। अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है। जस्टिस अनूप कुमार हंड ने यह आदेश मनजीत देवड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने 9 मई तक राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि क्यों ना इस योजना को बंद कर दिया जाए।अदालत ने कहा कि ऐसी स्कॉलरशिप के नाम पर करोड़ों रुपए ऐसे लोगों को दिए जाते हैं, जिनके माता-पिता धनी है। सरकार स्कॉलरशिप के नाम सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में अदालत सरकार की ऐसी कार्यप्रणाली पर अपनी आंख मूंदकर नहीं बैठ सकती है। अदालत ने कहा कि अपात्र अध्येर्थियों को योजना का लाभ इसलिए मिल रहा है कि उनके माता-पिता प्रभावशाली पदों पर हैं।

अल्ट्रासाउंड कोर्स में प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वालों से भेदभाव क्यों : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा सचिव और नीट पीजी काउंसिलिंग बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर पूछा है कि पीसीपीएनडीटी के तहत छह माह के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश डॉ. सुप्रिया कुमार गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि पीसीपीएनडीटी के तहत छह माह का अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स कराने के लिए गत 22 अप्रैल को नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें प्रावधान किया गया कि पहले राउंड में प्रदेश की मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों से सेवारत डॉक्टरों को ही शामिल किया जाएगा। वहीं इसके बाद सीटें रिक्त रही तो दूसरे और बाद में राउंड में प्रदेश के बाहर से

एमबीबीएस करने वालों को मौका दिया जाएगा। इसके चुनौती देते हुए कहा गया कि नेशनल मेडिकल कमीशन देश में कहीं से भी एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों को योग्यता के आधार पर एक समान मानता है। ऐसे में इस कोर्स में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता के साथ स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पीसीपीएनडीटी नियम, 2014 के तहत नीट पीजी के अंकों के आधार पर इस कोर्स में प्रवेश का प्रावधान है। वहीं विज्ञापन की यह शर्त संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत के भी खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने गुजरात से एमबीबीएस किया है और नेशनल मेडिकल कमीशन उसे मान्यता देता है। इसके बावजूद उसे प्रदेश से एमबीबीएस करने वालों के साथ प्रथम राउंड के काउंसलिंग में शामिल होने के अनुमति नहीं देना मनमाना है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलूपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

डॉ. रेड्डीज़ और सनोफी हेल्थकेयर ने बेफ़ोर्टस लांच करने के लिए साझेदारी की

जयपुर। विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर, एक वैश्विक फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेट्रीज़ लिमिटेड ने सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एसएचआईपीएल") के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है ताकि भारत में एक नई दवा, बेफ़ोर्टस (निर्सिविमैब) को पेश किया जा सके। बेफ़ोर्टस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, निर्सिविमैब, एक प्रीफ़िल्ड इंजेक्शन के रूप में शामिल है, जो रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (आरएसवी) निचले श्वसन पथ रोग (एलआरटीडी) की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, जो नवजात शिशुओं और पहले आरएसवी सीजन में जन्म लेने वाले या उसमें प्रवेश करने वाले शिशुओं के लिए है। यह 24 महीने तक के बच्चों को भी दी जाती है, जो अपने दूसरे आरएसवी सीजन तक गंभीर आरएसवी रोग के प्रति संवेदनशील रहते हैं।

‘मुझ पर न्यायालय में दायर अवमानना याचिका को वापिस लेने का दबाब बनाया जा रहा है’

परेशन होकर मैंने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया जिसकी सुनवाई 30 अप्रेल को है : सत्यनारायण गुप्ता

- ‘मुझसे पुलिस अधिकारियों द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया जा रहा है’

शिकायत तत्कालीन मैने डीजीपी को ईमेल द्वारा दी थी, किंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद हस्ताक्षरों का दुरुपयोग कर मुझे मेरी ही कंपनी से हटा दिया गया और कंपनी की संपत्तियों को अवैध रूप से खूदबूद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना का मूल कारण मेरी कंपनी सिल्वर सोइल इंडस्ट्रियल पार्क प्राईवेट लिमिटेड है जिसे मैंने वर्ष 2012 में मेरे साझेदार ताराचंद चौधरी थे और पूंजी निवेश के लिये अशोक मुंद्रा को जोड़ा गया। बाद में परिyoजना की सफलता पर मुंद्रा ने मुझे हटाने का षड्यंत्र रचा और मुंद्रा ने प्रमोद स्वामी से मिलीभगत कर मेरे विरूद्ध विद्याधर नगर थाने में चार एफआईआर दर्ज कराईं जिनमें बिना

किसी प्राथमिक जांच के मात्र कुछ घंटों में एफआईआर दर्ज कर ली गई। इनके बाद तत्काल प्रभाव बनाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराने के लिये बाध्य किया गया। इस पर मैंने आईसीआईडीआई बैंक में पत्र लिखकर किसी भी वित्तीय छेड़छाड़ रोकने का आग्रह किया और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों, जयपुर को पत्र लिखकर अवगत कराया कि मुझसे जबर्ज इस्तीफा लिया गया है। इसके बाद न्यायालय में भी कंपनी याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय ने भी रणिरता को समझते हुए अंतिम आदेश पारित कर संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी। वहीं अशोक मुंद्रा द्वारा दायर दो अपीलों खारिज हो गईं, इससे भी मेरे

दावे की सच्चाई स्पष्ट हो गई। परंतु ताराचंद व मुंद्रा ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कंपनी की जमीन को भवानी शंकर सामोता की शेल कंपनी सामोता होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम रजिस्ट्री कर दी, जिसकी अवमानना याचिका मैंने दायर की, जो अब विचाराधीन है। अब मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही हैं और एक के बाद एक झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।

सत्यनारायण गुप्ता ने कहा कि इन सबसे परेशान होकर मैंने 18 मार्च को राजस्थान मानवाधिकार आयोग के समक्ष आईपीएस कुंवर राष्ट्रदीप, राजेश शर्मा और प्रमोद स्वामी के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई, जिस पर 4 अप्रेल को आयोग ने कमिश्नरेट से रिपोर्ट तलब की है और अगली सुनवाई की तिथि 30 अप्रेल को निर्धारित की है।